जिला निबंधक का कार्यालय, नालन्दा (बिहारशरीफ)

आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना (बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा) 2 लेन निर्माण हेतु मौजा–हुजूरपुर मेहनौर थाना नं०– 98 का अर्जनाधीन भूमि का सम्पूर्ण भाग बिहारशरीफ नगर निगम के क्षेत्राधिकार से बाहर रहने तथा वर्त्तमान में प्रभावी मार्गदर्शक पंजी में कृषि भूमि का मूल्यांकन नहीं रहने कारण बाजार मूल्य दर का निर्धारण हेतु छः सदस्यीय समिति के प्रतिवेदन के आलोक में केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखत का न्यून मूल्यांकन निवारण) नियमावली 1995 के नियम–6 के आलोक में मौजा– हुजूरपुर मेहनौर, थाना नं०– 98 के न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी के पुनरीक्षण हेतु जिला मूल्यांकन समिति नालन्दा के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।

अतएव पूर्व में अधिसूचित न्यूनतम मार्गदर्शक पंजी को यथावत् रखते हुए, छः सदस्यीय समिति द्वारा बिहारशरीफ अंचलान्तर्गत मौजा– हुजूरपुर मेहनौर, थाना नं० 98 का कृषि भूमि का निर्धारित दर प्रस्ताव को न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में सम्मिलित करने हेतु जिला मूल्यांकन समिति, नालन्दा ने पुनरीक्षण/संशोधन करने का निर्णय लिया है जो इस प्रकार है :–

क्र०सं०	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं०	प्रस्तावित न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी दर (प्रति डीसमील)	
				धनहर (दो फसला)	भीठ (एक फसला)
1	बिहारशरीफ	हुजूरपुर मेहनौर	98	16000	12000

उपरोक्त प्रस्तावित न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी दर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो जिला निबंधन कार्यालय, बिहारशरीफ में आपत्ति दर्ज करा सकते है।

5/12/18

जिला अवर निबंधक–सह–
सचिव, जिला मूल्यांकन समिति
नालन्दा।